मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक ए. 6/11/80/1 (1,) भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
निबंधक, म. प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

विषय.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम, 1957 के विनियम 6 में संशोधन.

उपरोक्त विषय पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए. 6/11/80/एक (1), भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1980 की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है.

हस्ता./
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक ए. 6-11/80/एक (1) भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1980

प्रति,

नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर संलग्न अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक ए. 6/11/80/एक (1), भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1980

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेग्युलेशन, 1957 में एतद्द्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियमों में, विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(1) किसी अनुशासनिक मामले में ऐसा आदेश करने के बारे में, जो निम्नलिखित से भिन्न हो, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा —

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया मूल आदेश जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1866 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के नाम से निर्दिष्ट है) के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करता हो,

(ख) उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के, जो किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, विरुद्ध की गई अपील पर राज्यपाल द्वारा दिया गया आदेश;

(ग) उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करते हुए राज्यपाल द्वारा या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश को, किसी याचिका या अभ्यावेदन पर या अन्यथा विचार करने के पश्चात् नामंजूर करते हुए या उपान्तरित करते हुए राज्यपाल द्वारा दिया गया कोई आदेश;

(घ) उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला ऐसा कोई आदेश जो राज्यपाल द्वारा पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और ऐसे किसी आदेश को, जिसके अधीन उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो, उपान्तरित करते हुए दिया गया कोई आदेश.

(2) निम्नलिखित मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा —

(क) जहां विभागीय जांच पूर्ण होने के पश्चात् सरकारी सेवक को विमुक्त किया जाना है या किसी शास्ति का अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित नही है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि सरकारी सेवक को साधारण चेतावनी देने के पश्चात् मामले को समाप्त किया जाये;

(ख) जब पारित किया जाने वाला आदेश (एक) शास्ति के रूप में न होकर अन्यथा किसी अधिकारी को सेवान्मुक्त करने या प्रतिवर्तन करने से संबंधित आदेश हो;

(दो) विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी परीक्षण (टेस्ट) या परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण किसी नियम या आदेश में विहित कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश हो;

(तीन) किसी अधिकारी के नियोजन को, उसके नियोजन की संविदा के निबन्धनों के अनुसार समाप्त करने का आदेश हो;

(चार) परिवीक्षाधीन कर्मचारी की परिवीक्षा को जारी रखने या समाप्त करने अथवा उसे सेवान्मुख करने से संबंधित आदेश हो;

(पांच) मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (सेफगार्डिंग आफ नेशनल सिक्यूरिटी) रुल्स, 1961 के अधीन किसी शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश हो;

(छः) संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासकीय सेवक की पदच्युति या उसे सेवा से हटाने के लिये जारी किया गया आदेश हो."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एस. के. चतुर्वेदी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.